

अग्निशमन सेवा मुख्यालय, झारखण्ड, राँची।

दिनांक-26.04.2026

सेवा में,

Sri Satya Prakash Sudhanshu,
Near Road Number-4, Adityapur-2,
Jamshedpur 13 Saraikela Kharsawan-831013.

विषय:- गायत्री शिक्षा निकेतन स्कूल आदित्यपुर-2 सरायकेला-खरसावों स्कूल भवन का अग्नि-सुरक्षात्मक अनापत्ति प्रमाण-पत्र का नवीकरण।

आपके द्वारा आनलाईन समर्पित प्रस्ताव के आलोक में निर्मित संबंधित गायत्री शिक्षा निकेतन स्कूल आदित्यपुर-2 सरायकेला-खरसावों स्कूल भवन के अग्नि-सुरक्षात्मक उपायों की भौतिक जाँच प्रभारी अग्निशमन पदाधिकारी, आदित्यपुर, से कराई गई। उनके ज्ञापांक-225 दिनांक-23.04.2026 के द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन एवं की गई अनुशंसा के आलोक में निम्न शर्तों के अधीन अनापत्ति प्रमाण-पत्र का नवीकरण निर्गत किया जाता है कि :-

1. **Set-Back Area** को हर समय किसी भी प्रकार के अवरोध से पूरी तरह मुक्त रखा जायेगा।
2. स्कूल भवन तक जानेवाली पहुँच पथ को किसी प्रकार से कभी भी बाधित नहीं रखा जायेगा।
3. निर्धारित अन्तराल पर सभी उपकरणों का संधारण सुनिश्चित किया जाय। संधारण के अभाव में ये उपकरण बेकार भी हो सकते हैं।
4. किसी भी **Fire Extinguisher** को प्रयोग में लाने के बाद उसे तुरन्त रिफिलिंग करा लिया जायेगा।
5. अपातकाल की अवस्था के लिए **Escape Routes** के साथ-साथ **Evacuation Drill** के तरीकों की जानकारी का **Display** समुचित स्थानों पर किया जायेगा तथा हर समय उसे संधारित रखा जायेगा।
6. इस बात का खास ध्यान रखा जायेगा कि कार्य के दौरान किसी भी प्रवेश अथवा निकास द्वार में न तो ताला लगाया जायेगा न ही बाहर से बोल्ट किया जायेगा।
7. स्कूल भवन में काम करने वाले सभी कर्मियों को अग्निशमन उपकरणों के उपयोग एवं जाँच के तरीकों की जानकारी का रहना आवश्यक है।
8. **Fire and Evacuation Drill** का आयोजन वर्ष में कम से कम दो बार अवश्य किया जाय, जिसमें स्कूल भवन में काम करने वाले सभी कर्मियों को निश्चित रूप से शामिल किया जाय। इस ड्रिल में वर्ष में कम से कम एक बार स्थानीय अग्निशमन सेवा को भी शामिल किया जाय।
9. **Fire Practices and Evacuation Drill** का विस्तृत लेखा एक पंजी में संधारित रखा जाय।
10. **First Aid Fire Fighting Arrangements** को **IS Specifications** के अनुसार हर समय अच्छी तरह संधारित एवं तैयारी की हालत में रखा जाय।
11. समय-समय पर **Hose Reel Hose** एवं **Hydrant** के पानी को **flush-out** किये जाने की व्यवस्था की जाय।
12. किसी भी प्रकार की असावधानी अथवा लापरवाही से यदि आगजनी की घटना घटित होती है, तो इसके लिए प्रबंधन स्वयं जवाबदेह होंगे।
13. किसी भी प्रकार की अनियमितता पाये जाने पर बीच में भी अनुज्ञप्ति रद्द करने की अनुशंसा की जा सकती है, जिससे होनेवाली किसी भी प्रकार की असुविधा हेतु संबंधित प्रबंधन स्वयं जवाबदेह होंगे।
14. आकस्मिक सेवाओं के टेलीफोन नम्बर का जो डिस्प्ले किया गया है, उसे निर्धारित रखा जायेगा।
15. संबंधित स्कूल भवन में कभी भी किसी भी प्रकार का विवादित मामला होने पर संबंधित स्कूल भवन को दिये गये अनापत्ति प्रमाण-पत्र का नवीकरण को जॉचोपरान्त कभी भी रद्द किया जा सकता है।
16. यह अनापत्ति प्रमाणपत्र का नवीकरण दिनांक-31.03.2027 तक के लिये मान्य है।

JITENDRA TIWARY

Digitally signed by JITENDRA TIWARY
DN: cn=JITENDRA TIWARY, o=PERSONAL, title=9053, pseudonym=fdbdee274971488db4dce37ab5e245e7,
2.5.4.20=894e76e7a55211af8edc5d01fc9008f3f4b2057987b90a96d6b7a5458ea0b0,
postalCode=834004, st=Jharkhand,
serialNumber=c2ef3f40dd8c08af2be3efeb12fb7360caeb368d01281729c3d8961d7e6d81,
6, cn=JITENDRA TIWARY
Date: 2026.04.26 20:09:09 +0530

(जितेन्द्र तिवारी)

प्रभारी अपर राज्य अग्निशमन पदाधिकारी,
झारखण्ड, राँची।